प0सं0–14 / डी0एल0ए0–किशनगंज (भारत नेपाल सीमा)–210 / 2013–......................../रा0, पटना–15, दिनांक–..../...../2013

बिहार सरकार,

राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग,

भू–अर्जन प्रशाखा,

(अधिसूचना)

पत्रांक– 2996 /आर0, पटना, दिनांक– 20–12–13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज अंचल अन्तर्गत मौजा– दल्लेगाँव, थाना नं0–56, जिला–किशनगंज में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात भारत–नेपाल सीमा के समानान्तर सड़क निर्माण के लिए सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इस लिए अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा –दल्लेगाँव, थाना नं0–56, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश रकवा 0.16 एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी निम्नांकित है ::–

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा (एकड़ में)
67	134 (P)	0.16
	कुल योग::–	**0.16**

चौहद्दी ::–

उत्तर ::– मौजा–दल्लेगाँव सीमाना,
दक्षिण ::– खेसरा सं0–134 अंश
पुरब ::– खेसरा सं0–134 अंश
पश्चिम::– सड़क

यह अधिसूचना बिहार भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (समय–समय पर संशोधित) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी रैयतों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में कार्यालय दिवस को देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी,किशनगंज और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरंभिक तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 2 में यथा उपबंधित विर्निदिष्ट अपने कार्यों के समूचित निष्पादन के लिए तथा अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव,

समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक– 2996 /रा0 /भू–अर्जन, पटना, दिनांक– 20–12–13

प्रतिलिपि :: निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिघोषणा की तीन प्रतियाँ सहित (दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो) प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एंव प्रकाशित जिला गजट की दस–दस (10–10) प्रतियॉ इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: समाहर्त्ता, किशनगंज / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।